uxj ifj"kn gehjiqj] ftyk gehjiqj] fgekpy izns'k ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 04@2011 ls 03@2012

Hkkx&,d

1 izkjfEHkd

¼d½ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद हमीपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/11 से 3/12 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

vads{k.kk/khu vof/k ds nkSjku fuEu of.kZr v/;{k o dk;Zdkjh vf/kdkjh uxj ifj"kn gehjiqj esa rSukr Fks&

v/;{k

Øe la[;k	iz/kku dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्री दीप कुमार	1.4.2011 से आज तक

dk;Zdkjh vf/kdkjh

1	श्री वी0के0 षर्मा	1.4.2010 से 31.3.2012

¼[k½ vof/k 4@2011 ls 3@2012 ds nkSjku vads{k.k esa ik;h xbZ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj

Øe la[;k	vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj	iSjk la[;k	jkf'k yk[kksa esa
1	मोबाईल संचार टावर कम्पनियों का वसूली हेतु षेष पाया जाना	6	0.85
2	गृहकर की बकाया राषि का दिनांक 31.3.12 को षेष पाया जाना	7 (क)	115.66
3	गृहकर की प्रारम्भिक षेष राषि का कम करना	7 (ख)	0.06
4	किराये की बकाया राषि का दिनांक 31.3.12 को षेष पाया जाना	8 (क)	40.30
5	किराये की प्रारम्भिक षेष में राषि का कम करना	8 (ख)	0.13
6	बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किए नगर परिषद के वार्डो में सफाई करवाने हेतु भुगतान करने बारे	17	0.59
7	संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतान करना	22	0.25

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के "परिषिष्ट I" पर दर्षाई गई है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k

नगर परिषद हमीरपुर के अवधि 04/2011 से 03/2012 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी व श्री विद्या सागर कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 9.07.2012 से 23.8.2012 के दौरान हमीरपुर में किया गया।

विस्तृत जाँच हेतु मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गयाः–

o"k	vk;	0;;
2011–12	8/2011	3/2012

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को नगर परिषद हमीरपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 vads{k.k 'kqYd

नगर परिषद हीमरपुर के अवधि 04/2011 से 03/2012 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹28400/–बनता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 83, दिनांक 23.8.2012 द्वारा उक्त राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के नाम भेजने हेतु नगर परिषद हमीरपुर कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4 foRrh; fLFkfr

¼d½ नगर परिषद हमीरपुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार संस्था की अवधि 4/2011 से 3/2012 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

jkdM+ ogh dk vuqlkj%&

1.4.2011 को अथषेष	12254925.65
वर्ष में प्राप्त आय	53081011.05
कुल राषि	65335936.70
वर्ष में खर्च की गई राषि	45947126.00

31.3.12 को अन्तिम षेष 19388810.70

¼[k½ नगर परिषद की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न "परिषिष्ट-A" तथा "परिषिष्ट–B" पर भी दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि वित्तीय स्थिति में आंकडे तथा परिषिष्ट "A" तथा "B" के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते है क्योंकि परिषिष्ट "A" के अनुसार नगर परिषद को वर्ष 2011–12 में अनुदान की कुल ₹26518813/– प्राप्त हुई जबकि परिषिष्ट "B" के अनुसार अनुदान की कुल ₹27152470/–की प्राप्ति/अनुमोदित हुई दर्षाई गई है। अतः आंकड़ों की इन भिन्नताओं के कारण स्पष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त परिषिष्ट "A" में नगर परिषद द्वारा वर्ष 2011–12 में अनुदानों पर खर्च की गई राषि का विवरण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्थिति में अनुदानों तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय तथा व्यय का भी पृथक–पृथक विवरण नहीं दिया गया है जिसके अभाव में नगर परिषद द्वारा उक्त परिषिष्टों तथा वित्तीय स्थिति में अंकित की गई राषि की सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत नगर परिषद वर्ष 2011–12 में आय तथा व्यय का मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼x½ uxj ifj"kn }kjk fnukad 31-3-12 dks fofHkUu cSad [kkrksa esa 'ks"k ₹32675428-70 fuEu iwdkj ls n'kkZbZ xbZ Fkh%&

बैंक खातों से मिलान

दिनांक 31.3.142 को बचत खातों में जमा राषिः–

	cSad dk uke	[kkrk la[;k	jkf'k
1	SBOP	55126074619	14443626.45
2	CB India	4077	11139912.00
3	C.B. India	1144	1891298.00
4	C.B. India	6280	1052532.00
5	KCC	7767	1787717.00

6	KCC	5301	590553.00
7	UCO Bank	–	4316.50
8	PLA	–	1365927.00
9	PNB	0211000100148741	399546.75
			32675428-70

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपरोक्त विवरणी में UCO Bank तथा PLA के खाता संख्या अंकित नहीं किए गए है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

¼?k½ cSad lek/kku fooj.kh&

बैंक खातों के अनुसार 31.3.12 को अन्तिम षेष		32675428-70
tek&	बैंक चार्जिज जिन्हें रोकड़ वही मे ंजमा नहीं किया है	(+)482.00
	बैंक में जमा चैक जो 31.3.12 तक बैंक खातों में क्रेडिट नहीं हुए	(+)81164.00
ekbZul&	UDISSMT की UNSPENT राषि	(–) 7378349.00
	ऐसे जारी चैक जो 6 माह उपरान्त भी बैंक खातों में Debit नहीं हुए	(–) 8750.00
	IPO की राषि जो सीधे बैंक खाते में जमा की गई थी	(–) 80.00
	जारी चैक जिन्हें 31.3.12 तक बैंक खातों में Debit नहीं किया है	(–) 5981079.00
	दिनांक 27.3.12 को बैंक में अधिक जमा राषि	(–)6.00
समायोजन करने के उपरान्त 31.3.2012 को बैंक मे ंजमा राषि		19388810-70
रोकड़ वही के अनुसार षेष		19388810-70

अतः परामर्ष दिया जाता है कि बैंक समाधान विवरणी में दर्षाए गए उक्त अन्तरों को संस्था स्तर पर विस्तृत जॉच करके इनका समाधान किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 vuqnku

नगर परिषद को वर्ष 2011–12 में स्वीकृत/प्राप्त हुई अनुदान तथा उसमें से व्यय की गई राषि का विवरण परिषिष्ट "B" पर दिया गया है।

6 ekckbZy lapkj Vkoj dEifu;ksa ls ₹85000@&dk olwyh gsrq 'ks"k ik;k tkuk

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या– HIM/TP/PJT/Vol-1x/06.8695.8760 दिनांक 16.10.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों लगाए गए मोबाईल टावरों की स्थापना षुल्क वार्षिक नवीनीकरण षुल्क इत्यादि प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है मगर नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2012 का विभिन्न मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों से ₹85000/–बकाया षेष थी जिस का विस्तृत ब्यौरा परिषिष्ट संख्या (क) में दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में नये लगाये गये मोबाईल टावरों का कोई उल्लेख नहीं था व मोबाईल टावरो पर लगाए गए अतिरिक्त अन्टीनों का भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था। अतः नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए अतिरिक्त मोबाईल टावरों तथा साझेदारी के आधार पर लगाये गए अतिरिक्त अन्टीनों व नये मोबाईल टावरो का सर्वेक्षण करवाया जाए और तदानुसार उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वसूली की जाए तथा उपरोक्त षेष बकाया राषि को भी नियमानुसार वसूल करने हेतु उचित कार्रवाई करके इसकी वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 x`g dj

गृहकर के अंकेक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ x`gdj dh cdk;k ₹11566435@&dk olwyh gsrq 'ks"k ik;k tkuk

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3. 2012 तक नगर परिषद द्वारा गृहकर की बकाया ₹11566435/—वसूली हेतु षेष पड़ी थी जिस का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट संख्या (ख) में दिया गया है। अतः गृह कर की बकाया राषि को वसूल करने हेतु षीध्र ही नियमानुसार आवष्यक उचित कार्रवाई की जाए तथा देरी से गृह कर जमा करवाने के लिए दण्ड अधिभार की वसूली करनी भी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ x`gdj ds ikjfEHkd 'k"k esa ₹5850@&dk de n'kkZ;k tkuk

नगर परिषद के गृहकर रजिस्टर/अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों मे ंसंस्था ने गृह कर की गत वर्ष की अन्तिम षेष की राषियों को आगामी वर्ष के प्रारम्भिक षेष में कम दर्षाया गया था जिस के परिणामस्वरूप संस्था को ₹5850/—का नुकसान हुआ जो कि आपतिजनक है। अतः इन प्रकरणों में आवष्यक नियमानुसार कार्रवाई करके इस राषि की भी वसूली करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

okMZ u0	u0@edku	31-3-11 dk vfUre 'k"k	1-4-11 dk ikjfEHkd 'k"k	vUrj
1/153		300	षून्य	300
1/150		9000	3750	5250
11/209		7656	7356	300
			dqy jkf'k	₹5850

8 fdjk;s dh olwyh ckjs

नगर परिषद द्वारा दुकानों/स्टालों/खोखो इत्यादि के किराये की वसूली में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

¼d½ fdjk;s dh cdk;k ₹4030350@&dk olwyh gsrq 'k"k ik;k tkuk

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानो पर दुकानों/स्टालों/खोखो आदि का निर्माण किया गया जो कि अब नगर परिषद आय का मुख्य स्त्रोत है। संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (जोकि अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "ग" में दी गई है) के अवलोकन में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि में किराये की कुल वसूली योग्य राषि की लगभग 22% की ही वसूली की गई थी, परिणामस्वरूप दिनांक 31.3. 2012 को किराये के रूप में ₹4030350/– वसूली योग्य षेष थी जिससे प्रतीत होता है कि संस्था ने किराये की वसूली हेतु प्रभावषाली कार्रवाई नहीं की गई जिस का औचित्य स्पष्ट किए जाए तथा अब इस बकाया राषि की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावषाली पग उठाये जाऐ तथा आवष्यकता अनुसार किराये की बकाया राषि की वसूली सुनिष्चित करने हेतु कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ fdjk;s d iZkjfEHkd 'k"k e ₹13300@&dk de n'kkZ;k tkuk

नगर परिषद के किराये के रजिस्टर के अवलोकन मे पाया गया कि निम्न प्रकरणों मे संस्था द्वारा किराये की गत वर्ष की अन्तिम षेष की राषियों को आगामी वर्ष की प्रारम्भिक षेष में कम दर्षाया गया था जिसके परिणामस्वरूप संस्था को ₹13300/–का नुकसान हुआ जो कि आपतिजनक है। अतः इन प्रकरणों में आवष्यक नियमानुसार कार्रवाई करके इस राषि की भी वसूली करनी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	fdjk;snkj dk fooj.k	31-3-2011 dk vfUre 'k"k	1-4-2011 dk izkjfEHkd 'k"k	vUrj
1	दुकान नं0 4 बस स्टैन्ड मार्किट	20650	18850	1800
2	दुकान नं0 46 बस स्टैन्ड मार्किट	18750	18250	500
3	दुकान नं0 61 बस स्टैन्ड मार्किट	36316	35316	1000
4	BSNL IDSMT Building	53468	43468	10000
			dqy jkf'k	₹13300

¼x½ nqdkuks@LVkyks bR;kfn ds fdjk;s esa 5 o"kksZ ds i'pkr fu;ekuqlkj 10% c<+ksrjh u djuk

षहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष की अधिसूचना संख्या LSG-F(6)-1/85-IV दिनांक 21.12.2001 के नियम 5 (a) के अनुसार हर पॉच वर्षों के पष्चात किराये या पट्टे की राषि में

10% की दर से बढ़ौतरी करनी अपेक्षित होती है। अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा किराये पर दी गई दुकानों/स्टालों का किराया गत कई वर्षों से बढ़ाया नहीं गया जोकि उपरोक्त सरकार नियमों की अवहेलना है जिस के कारण संस्था को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिस का औचित्य उपरोक्त अधिसूचना के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा दुकानों के किराये को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार बढ़ाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 0;olk; ykbZlsUl 'kqYd

नगर परिषद के व्यवसाय लाईसैन्स षुल्क के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ अंकेक्षण मे ंपाया गया कि निम्नविवरणानुसार नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 443/08 दिनांक 30.8.2008 द्वारा निर्धारित व्यवसाय लाईसैन्स षुल्क से कम ₹3400/–व्यवसाय कर्ताओं से वसूल की गई थी जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कम वसूली गई राषि की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे नगर परिषद की निधि से जमा करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

vof/k	jlhn l0 fnukad	0;olk;	ns; jkf'k	olwyh xbZ jkf'k	vUrj
2010–11 व 2011–12	2/62 18.4.11	ढाबा	300	100	200
2010–11 व 2011–12	2/64 19.4.11	ढाबा	300	100	200
2011–12	2/71 20.4.11	ढाबा	150	50	100

2011–12	2/86 25.4.11	ढाबा	150	50	100
2011–12	3/48 22.7.11	क्लीनिक	500	50	450
2010–11 व 2011–12	3/49 22.7.11	षोरूम	1000	100	900
2011–12	3/61 6.9.11	ढाबा	150	50	100
2009–10 से 2011–12	3/68 19.10.11	षोरूम	1500	150	1350
				dy jkf’k	₹3400

¼[k½ अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे कई अस्पताल/क्लीनिक, होटल, रैस्टोरैन्ट, षोरूम, टैन्ट हाऊस व प्राईवेट षैक्षणिक संस्थाओं से व्यवसाय लाईसैन्स षुल्क की वसूली नहीं की गई थी जो कि अत्यन्त गम्भीर आपत्तिजनक मामला है जिस का औचित्य नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 443/08 दिनांक 30.8.2008 के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण की संस्था स्तर जांच कर के इस प्रकरण में नियमानुसार आवष्यक कार्रवाई की जाए व अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

¼x½ अंकेक्षण मे ंपाया गया कि संस्था द्वारा रसीद संख्या 3/58 दिनांक 24.8.2011 द्वारा वसूल की गई लाईसैन्स षुल्क की ₹55/–को जमा नहीं करवाया गया था। अंकेक्षण द्वारा आपति उठाने पर संस्था द्वारा इस राषि को वसूल करके जी–8 संख्या 75/38 दिनांक 4.8.2012 जमा करवा दिया गया था जिस की सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की चूक को रोकने हेतु आवष्यक कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाए।

10 fctyh ’kYd dh olyh u djuk

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिूसचना संख्या एल0एस0जी0डी0(1)–9/94 दिनांक 8.11.1999 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र की सीमा के भीतर उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए गए बिजली के प्रत्येक यूनिट परएक पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली षुल्क बिजली विभाग द्वारा सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान करनी अपेक्षित होता है मगर अंकेक्षण में पाया

गया कि अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित बिजली षुल्क की राषि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी जिस का औचित्य उपरोक्त अधिसूचना के दृष्टिगत दिया जाए तथा देय बिजली षुल्क की राषि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठा कर इसकी वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा माह 3/2012 मे ंवाउचर संख्या 2052 दिनांक 23.3.2012 व वाउचर संख्या 2158 दिनांक 31.3.12 द्वारा क्रमषः ₹3066593 व ₹3403247/–का भुगतान बिजली बिलों के सन्दर्भ में किया गया। अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त राषि के बिलो पर नगर परिषद क्षेत्र में कुल खपत युनिटों पर 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से (cess) उपकर जो बिजली बोर्ड से प्राप्त होना था का समायोजन इन बिलों की राषि में नहीं किया गया है और न ही बिजली बोर्ड के प्रति कुल देन दारियों की राषि में से उपकर की राषि को कम किया गया है। अतः बिजली बोर्ड कार्यालय से इन बिलों में कुल खपत यूनिटों का अभिलेख प्राप्त करके उन पर प्राप्ति योग्य उपकर की राषि का आंकलन करके उसका समायोजन भविष्य में देय बिजली बिलों में किया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

11 'kjkc 'kYd

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था को अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित षराब षुल्क की राषि आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी। अतः षराब षुल्क की नियमानुसार देय राषि की आबकारी एवं कराधान विभाग से वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठाकर नियमानुसार आवष्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 eukj:tu dj

हिमाचल प्रदेष सरकार के षहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 खण्ड–4 दिनांक 13.12.2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में सिनेमा घरों व विडियो थियेटरों पर मनोरंजन कर लगाना अपेक्षित होता है मगर अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था के क्षेत्राधिकार में चल रहे सिनेमा घरों व विडियो थियेटरों से अंकेक्षण अवधि के दौरान उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार मनोरन्जन कर की वसूली नहीं की गई थी जिस का औचित्य उपरोक्त अधिसूचना के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा मनोरजन कर की नियमानुसार वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 tUe iek.k i= 'kYd dh ₹100@&tek u djokus ckjs

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने जी–8 रसीद संख्या 90/63 दिनांक 25.8.2011 द्वारा जन्म प्रमाण पत्र षुल्क की ₹100/–की वसूली की गई थी मगर इस राषि को जमा नहीं करवाया गया था जो कि आपतिजनक है। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार आवष्यक कार्रवाई करके इस राषि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके इसे नगर परिषद की निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 th&8 cqd l[;k 73 dh jlhn l[;k 44 dks [kkyh NksMus ckjs

अंकेक्षण मे ंपाया गया कि संस्था द्वारा मास 8/2011 में टाऊन–हॉल की बुक्रिंग हेतु प्रयोग ही गई जी–8 बुक संख्या 73 की रसीद संख्या 44 को बिल्कुल खाली छोड़ा गया था तथा इस रसीद को रद्द भी नहीं किया गया है जबकि इस जी–8 की षेष सभी रसीदों का प्रयोग कर दिया गया था। अतः इस रसीद को खाली छोड़ने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 okgu

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था के वाहन संख्या एच0पी0 22–0313 की अवधि 12.3. 2012 से 31.3.2012 की लॉग बुक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब वांछित कार्रवाई को तुरन्त किया जाए और अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

16 eLVªksy rFkk ekiu iqfLrdk esa fd, x, dk;Z dh izxfr fjiksVZ dk fooj.k u fn;k tkuk

नगर परिषद द्वारा मास 3/2012 में ₹11426/– का भुगतान मस्ट्रोल संख्या 223 दिनांक 1.2.2012 के अन्तर्गत अवधि 1.2.2012 से 29.2.2012 के दौरान लगाए गए 1 मिस्त्री व दो मजदूरों की मजदूरी के एवज में किया गया लेकिन इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा

उपरोक्त अवधि मे ंकिये गये कार्य की प्रगति रिपोर्ट (Progress Report) का विवरण न तो मस्ट्रोल में दिया गया है और न ही इससे सम्बन्धित इन्द्राज माप पुस्तिका में दिखाए गये जिस के अभाव में किये गये भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि इन कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त अवधि मे ंकिये गये कार्य का विवरण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री सहित मस्ट्रोल व माप पुस्तिका में दर्षाया जाए ताकि भुगतान की गई राषि का सत्यापन उपरोक्त विवरण के दृष्टिगत किया जा सके।

17 fcuk iek.k&i= ikIr fd, uxj ifj"kn d ckMk e lQkbl djoku gr ₹59000@& dk Hkxrku dju ckj

वाऊचर संख्या 1888 दिनांक 1.3.2012 द्वारा निम्नलिखित वाडों की सफाई करवाने हेतु ₹59000/–का भुगतान श्री रूप लाल ठेकेदार को किया गया लेकिन नगर परिषद हमीरपुर द्वारा सम्बन्धित वार्ड की सफाई सुचारू रूप से होने बारे प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अभाव में किये गये भुगतान का सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः आवष्यक प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए तथा भविष्य में सफाई से सम्बन्धित भुगतान करने से पूर्व कार्य के सन्तोषजनक पाए जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकरी/कर्मचारी से लेकर ही भुगतान करना सुनिष्चित किया जाए।

okMZ l0	Hkxrku dh xbZ jkf'k
1	₹135000
2	₹11000
3	₹10500
9	₹11500
11	₹12500

18 dk;Z dk uke **Renovation of Park Near H/O Sh. Chadha in HBC Ward No. 7**

संविदाकार कानाम श्री योगेष कुमार

कार्य आबंटन पत्र संख्या MCH/TND/AWD/EST 2011-12 Vol 9

माप पुस्तिका संख्या 19

वाउचर संख्या 2153, दिनांक 31.3.2012

¼d½ उपरोक्त कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों जोकि माप पुस्तिका 19 के पृष्ठ संख्या 43 से 48 पर की गई है, की मद संख्या 10 व 11 में गलत गणना करके संविदाकार को ₹743/–का अधिक भुगतान किया है जिस का विवरण निम्नलिखित हैः–

en l0	en dk uke	eki ifLrdk d vulkj x.kuk	Lkgh x.kuk	vf/kd ek=k ftl dk Hkxrku fd;k x;k	nj	vf/kd Hkxrku
10	10 MM Cement Plaster in Single Coat on fair side	81.79 m^2	74.29 m^2	7.50 m^2	57.70 Per m^2	433
11	Applying one coat of Acirlic Primer	81.79 m^2	74.29 m^2	7.50 m^2	23.50 Per m^2	176
					dy jkf'k	₹609
	कुल अधिक भुगतान ₹609+22% Premium					₹743

अतः भुगतान करने से पूर्व रिकार्ड प्रविष्टियों की भलि–भांति जांच न करने का औचित्य स्पष्ट किया गया तथा गलत गणना के कारण किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राषि को नगर परिषद खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

¼[k½ उपरोक्त कार्य को Schedule Rates 2009 की दरों पर 22% प्रीमियम पर आबंटित किया गया था परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित "Justification of Rates" अंकेक्षण को नहीं दिखाये गये जिस के अभाव में HPPWD की 2009 को दर सूची पर दिये गये 22% प्रीमियम का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः इस सन्दर्भ में वांन्छित कार्रवाई करके यह भी सुनिष्चित किया जाए कि इस कार्य का 22% प्रीमियम आबंटन न्यायोचित था। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

19 **JCB** e'khu }kjk fd, djok;s x, dk;Z dh ek=k dks eki iqfLrdk esa ntZ u djuk rFkk fu"ikfnr fd, x, dk;Z dk vkdyu u djuk

¼d½ वाउचर संख्या 2155 दिनांक 31.3.2012 द्वारा ₹46200/– का भुगतान श्री जापान सिंह ठेकेदार को उनके द्वारा JCB मषीन द्वारा करवाये गये कार्यो हेतु किया गया जिन का विवरण निम्न लिखित हैः–

Ø0l0	fu"ikfnr dk;Z dk fooj.k	ftrus ?k.Vs dke fd;k	nj izfr ?k.Vk	Hkqxrku dh xbZ jkf'k
1	Levelling of Garbage and covering it with earth at Bajuri	21	1050	22050
2	Removing of Silt from Nallah ward No. 2	15	1050	15750
3	Coverage of Garbage near Trallah	8	1050	8400
			dqy Hkqxrku	₹46200

उपरोक्त प्रकरणों में JCB मषीन द्वारा निष्पादित कार्य की मात्रा का कोई विवरण माप पुस्तिका में नहीं दिया गया है जिस के अभाव में किये गये भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका जबकि JCB मषीन द्वारा निष्पादित प्रत्येक कार्य की मद की पैमाइस कर के उस का विवरण माप पुस्तिका में दिया जाना आपेक्षित था तथा भुगतान JCB मषीन के प्रतिघण्टा कार्य करने की कार्यक्षमता के आधार पर किया जाना था। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि उपरोक्त निष्पादित प्रत्येक कार्य की पैमाईस करके इसकी तुलना किये गये भुगतान की राषि के दृष्टिगत JCB मषीन द्वारा निर्धारित कार्य करने की क्षमता से की जाए तथा यदि निर्धारित कार्यक्षमता से कम कार्य निष्पादित किया गया हो तो उसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाई जाए।

¼[k½ उपरोक्त JCB मषीन द्वारा कार्य करवाने हेतु संस्था ने न तो कोई निविदाएं अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई और न ही इस सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा JCB मषीन द्वारा प्रति घण्टा कार्य करने की अनुमादित दरों की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई जिसके अभाव में दी गई दर को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः निविदाएं न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निष्पादित कार्य के एवज में किये गये भुगतान को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इसे एकल निविदा के आधार पर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 dk;! dk uke **Developing of Muck Dumping Site S/H Retaining Wall**

संविदाकार का नाम श्री बलदेव सिंह

कार्य आबंटन पत्र सं0 1126 दिनांक 2.11.2011

वाउचर संख्या 2012 दिनांक 19.3.2012

¼d½ उपरोक्त कार्य के निष्पादन सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह कार्य ₹500000/–की अनुमानित लागत पर श्री बलदेव सिंह संविदाकार का आबंटित किया गया था जिस में से मात्र ₹85837/–के कार्य निष्पादन करके बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया। इस सन्दर्भ में नगर परिषद कार्यालय द्वारा अनुमानित लागत ₹500000/–के कार्य से सम्बन्धित कोई प्राकलन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह सुनिष्चित नहीं किया जा सका कि प्राकलनित कार्य की मात्रा में से इस बिल में निष्पदित कार्य

की मात्रा के उपरान्त कितनी मात्रा षेष बची थी। अतः यदि कार्य का निष्पादन एक से अधिक चलित बिलो ंपर किया गया है तो उसका विवरण संविदाकार खाता वही में किया जाए।

¼[k½ संविदाकार के साथ हुई बातचीत के आधार तह षर्त के अनुसार यह कार्य हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग की दर सूची 2009 की दरों के ऊपर 3% प्रीमियम पर आबंटित करना तय हुआ था लेकिन अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल अभिलेख के साथ छेड़छाड़ (Tampring with Record) करके इस दर को 6% किया गया प्रतीत होता है तथा इस बिल में निष्पादित कार्य की लागत (S/R 2009 की दरें के अनुसार) ₹85457/– पर 6% अधिक लगाकर भुगतान किया गया जिस के परिणाम स्वरूप संविदाकार को 3% अधिक का अनुचित लाभ पंहुचाया गया। इसी प्रकार इस सम्पूर्ण कार्य की अनुमनित लागत ₹500000/–पर 3% अधिक लगाकर ₹15000/–का अनुचित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः मूल अभिलेख से छेड़छाड़ करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहंचाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए जिसकी संस्था स्त्तर पर विस्तृत जांच की जाए तथा तदानुसार नियमानुसार कार्रवाई करके अनुचित रूप से किये गये भुगतान की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके नगर परिषद खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

21 lafonkdkjk }kjk lIykbZ fd, x, **Bolders Stones ¼Voids½** dh de dVkSrh djuk

वाउचर संख्या 2157 दिनांक 31.3.2012 द्वारा श्री त्रिलोक चन्द संविदाकार को पत्थरों (Bolders) की आपूर्ति के एवज में किये गये भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा 34.60 क्यूविक मीटर की आपूर्ति में से नगर परिषद द्वारा 4. 33 क्यूविक मीटर की कटौती बतौर (Voids) ब्याडज करके भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार 15% ब्याडज की कटौती करनी अपेक्षित थी। इस प्रकार Voids के रूप में कम की गई कटौती के फलस्वरूप संविदाकार को ₹516/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

ckYMj dh ek=k ¼D;fod ehVj½	15% dh dVkSrh ds vuqlkj ek=k ¼D;fod ehVj½	fcy esa dkVh xbZ ek=k ¼d;fod ehVj½	de dh xbZ dVkSrh dh ek=k ¼d;fod ehVj½	Hkqxrku nj	vf/kd Hkqxrku
34.60	5.19	4.33	0.86	600	516

22 dk;Z dk uke **Developing of Muck Dumping Site C/O Retaining Wall at Bajuri**

संविदाकार का नाम श्री अजय चडडा

कार्य आबंटन पत्र सं0 MCH/TEND/AWD/EST/2011-12 Vol 9.1123 दिनांक 2.11.2011

वाउचर संख्या 2147, दिनांक 31.3.12

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित प्राप्त निविदाएं का अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकारों द्वारा दी गई दरों में श्री अजय चडडा की दर 2009 की दर सूची पर 8% अधिक थी, जोकि सबसे कम थी। तदोपरान्त ठेकेदार से हुई Negociation के अनुसार संविदाकार द्वारा अपनी दर 8% से घटा कर 3% की गई तथा इस कम की गई दर पर संविदाकार को कार्य आबंटित किया जाना अपेक्षित था लेकिन इस से सम्बन्धित अभिलेख से छेड़छाड़ करके Negociation से पूर्व की दर 8% को 8.8% किया गया प्रतीत होता है तथा Negociation दर को 3% से छेड़छाड़ करेक 8% किया गया प्रतीत होता है। ऐसा कर के संविदाकार द्वारा कुल निष्पादित कार्य की लागत ₹509288/— पर अनुवान्धित दर 3% अधिक की अपेक्षा 8% अधिक की दर से भुगतान करने पर संविदाकार को लगभग ₹509288x5%=₹25464/— का अधिक व अनुचित रूप से भुगतान किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस प्रकरण की विभागीय जांच करवाई जाए तथा तदानुसार कार्रवाई करते हुए नगर परिषद द्वारा इस अनियमितता के कारण अधिक भुगतान की गई राषि वसूली की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाने के लिए लेखाओं पर कड़ी निगरानी रखने की आवष्यकता है।

23 dk;Z dk uke **C/O Record Room in Tehseel Office Hamirpur**

संविदाकार का नाम श्री धनी राम

कार्य आबंटन पत्र सं0 MCH/TND/AWD/EST/2011-12 Vol 1–1028 दिनांक 7.5.2011

वाउचर संख्या 2149 दिनांक 31.3.12

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित प्राप्त निविदाओ में श्री धनी राम द्वारा दी गई सहति के अनुरूप 2009 की दर सूची की दरों पर 22% प्रीमियम जोकि अन्य संविदाकारो ंद्वारा दी गई दरों से कम था के आधार पर कार्य आबंटित किया गया परन्तु नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में "Justification of Rates" की प्रति अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः नगर परिषद हमीरपुर द्वारा "Justification of Rates" का विवरण उपलब्ध न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

24 dk;Z dk uke **Interlocking Paving Pavers of Path in W.No. 6**

संविदाकार का नाम श्री अजय चडडा

कार्य आबंटन पत्र सं0 MCH/TND/AWD/EST/2010-11 Vol 12–1148 दिनांक 23.1.12

वाउचर संख्या 19 दिनांक 28

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 2 की गलत गणना करके संविदाकार को ₹6138/–का अधिक भुगतान किया गया जिस का विवरण निम्नलिखित हैः–

en l0	en dk uke	fcy d s vuqlkj vkdfyr ek=k D;wfod ehVj	vkd{k.kkuqlkj ek=k ¼D;wfod ehVj½	vUrj @nj	vf/kd Hkqxrku
2	Providing & laying C.C 1:6:12 in graded stone of 40 mm size	25.27	22.11	3.16	1942.50
					₹6138

अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आवष्यक जांच करके वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे नगर परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

25 dk;Z dk uke **Developing of Muck Dumping Site S/H:C/O Retaining Wall**

संविदाकार का नाम श्री जग सिंह

माप पुस्तिका सं0 19 पृष्ठ 13 व 14

कार्य आबंटन पत्र सं0 MCH/TEND/AWD/EST/2011-12 Vol 4, 1079 दिनांक 25.7.11

वाउचर संख्या 2014 दिनांक 19.3.12

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 2 "Prividing and laying CC 1:4:8 Stone Agg 25mm nominal size की दर, (दर सूची 2009 के अनुसार ₹2300.65 Per cubic mtrs थी) जबकि बिल में इसके निष्पादन हेतु ₹2600/–Per Cubic Mtrs की दर से भुगतान करके संविदाकार को ₹18988/–का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसके विवरण निम्न प्रकार से हैः–

en dh dy fu"ikfnr ek=k	ftl nj ls Hkqxrku fd;k x;k	ftl nj ls Hkqxrku fd;k tkuk Fkk	vUrj	dqy vf/kd Hkqxrku
63.43	₹2600	2300.65	299.35	18988

अतः उक्त प्रकरण मे संस्था स्तर पर जांच करके निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

26 iSU'ku ,oa minku ys[kkvksa dk vads{k.k ckjs

नगर परिषद हमीरपुर में कार्यरत्त कर्मचारियों के पैन्षन एवं उपदान निधि से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर निम्नलिखित टिप्पणियॉ अपेक्षित हैः–

¼d½ इस निधि का रख रखाव, हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या LSG-B(1)-1/79-III दिनांक 25.4.2000 द्वारा नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के कर्मचारियो के पैन्षन एवं उपदान व सामान्य भविष्य निधि नियम 2000 के नियम 3 (4) के अनुसार नहीं किया गया है। उक्त नियम में यह प्रावधान किया गया था कि इस निधि मे ंसंचित राषि को अनुकूलता के

आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों एवं वॉण्डज में इस प्रकार निवेष किया जाए कि पैन्षन एवं उपदान निधि में अधिक से अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके लेकिन नगर परिषद हमीरपुर द्वारा पैन्षन एवं उपदान निधि को बचत खाते में रखा है जिस पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज अर्जित किया जा रहा है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि पैन्षन एवं उपदान निधि में संचित राषि मे ंसे समुचित भाग सरकारी प्रतिभूतियों एवं वॉण्डज में निवेष करके अधिक से अधिक ब्याज अर्जित किया जाए ताकि इस निधि की वितीय स्थिति को सुधारा जा सके।श

¼[k½ निदेषालय के पत्र संख्या UD-H(B)(10)2/2000.16394.16442 दिनांक 20.12.2003 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को यह निर्देष दिए गए थे कि दिनांक 1.12.2003 से सभी नगर परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा कुल स्वीकृत पदों (रिक्त+भरे हुए) के अधीकतम वेतनमान की 17% राषि पैन्षन एवं ग्रेच्युटी खाते में जमा करवाई जाए लेकिन नगरपरिषद हमीरपुर द्वारा इन आदेषों का पालन न करके कुल स्वीकृत पदो ंके अधिकतम वेतन का 17% जमा नहीं करवाया है जिसके परिणामस्वरूप इस निधि में अपेक्षाकृत कम राषि जमा करवाई जा रही है तथा कर्मचारियों के मासिक अंषदान की अपेक्षा सेवानिवृत कर्मचारियों को पैन्षन के रूप में अधिक भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 31.3.2012 का पैन्षन एवं ग्रेच्युटी निधि का विष्लेषण निम्न प्रकार से थाः–

दिनांक 31.3.12 को निधि का बकाया	₹453559
मार्च/12 में प्राप्त मासिक अंषदान	₹75066
मार्च/12 में पैन्षन के रूप में भुगतान	₹94000 लगभग

¼x½ इस निधि से नगर परिषद के सेवानिवृत हुए व होने वाले कर्मचारियों को पैन्षन, उपदान व पैन्षन सरांषीकरण का भुगतान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियो को सेवानिवृति पर देय वित्तीय लाभों की तर्ज पर किया जा रहा है लेकिन नगर परिषद हमीरपुर के कर्मचारी पैन्षन एवं उपदान निधि में प्रयाप्त राषि न होने व आय एवं व्यय के असन्तुलित समीकरण के कारण यह प्रतीत होता है कि जो कर्मचारी पहले सेवानिवृत होगे उन्हें सेवानिवृति पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की तर्ज पर सारे वित्तीय लाभ मिल सकते है मगर कुछ समय बाद सेवानिवृत

होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत लाभ देने के लिए षायद राषि षेष न बचे। अतः इस सन्दर्भ में नगर परिषद कर्मचारियों के हित में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके सेवानिवृत हुए कर्मचारियों तथा भविष्य में सेवानिवृत होन वाले कर्मचारियों की सेवानिवृति पर देय वित्तीय लाभों का आंकलन इस निधि में उपलब्ध राषि व उनके व्यक्तिगत अंषदान के दृष्टिगत किया जाए तथा इस प्रकरण में तदानुसार यथोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

¼?k½ deZpkfj;k d lh0ih0,Q0 [kkrk dk j[k&j[kko lgh <x l u dju ckj

नगर परिषद हमीरपुर में कार्यरत कर्मचरियों के सी0पी0एफ0 खातों से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों के वेतन में से मास 3/2012 से मासिक अंषदान के रूप में काटी गई राषियो का उनके व्यक्तिगत बैंक खातो में जमा तो करवाया गया था लेकिन इन खातों का मिलान करने पर अन्तर पाया गया जिस का विवरण निमन प्रकार से हैः–

oru ekl	deZpkjh dk uke o inuke	oru l dkVh xb jkf'k	cd [kkr e tek jkf'k	cd e tek dju dh frfFk
2/2012	श्रीमति कृष्णा सफाई कर्मचारी	2000	1500	20.4.12
3/2012	–यथोपरि–	2000	1500	23.4.12
2/2012	श्रीमति विमलेष सफाई कर्मचारी	1500	3000	20.4.12
3/2012	–यथोपरि–	1500	2000	23.4.12
2/2012	श्रीमति कौषल्या सफाई कर्मचारी	1500	2000	20.4.12
3/2012	–यथोपरि–	1500	3000	23.4.12
2/2012	विजय कुमार लिपिक	2000	1500	20.4.12

3/2012	2000	1500	23.4.12

अतः उक्त पाए गए अन्तरों के अतिरिक्त अन्य मासों के अन्तरों की भी संस्था स्तर पर जांच की जाए तथा इसका मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼3½ lh0ih0,Q0 ikl cqd miyC/k u djokus ckjs

संस्था द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की सी0पी0एफ0 खातों की बैंक पास बुके अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इन्हें तलाष कर आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम
1	नेक मुहम्मद
2	रत्न चन्द
3	नरेष कुमार
4	सुशील कुमार

27 fofo/k

¼d½ jÌh dh uhykeh u djuk

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमित रूप से कई समाचार पत्राओं को खरीदा गया था मगर पुराने समाचार पत्रों (रद्दी) की नीलामी नहीं की गई थी जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाए और अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

¼[k½ LVkWd ys[kk

¼i½ संस्था के स्टॉक लेखों से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि इनका रख रखाव नियमानुसार व सही ढ़ंग से नहीं किया गया है जिस से यह ज्ञात नहीं किया

जा सका कि एक निष्चित अवधि में किसी वस्तु विषेष की कितनी मात्रा षेष थ। अतः स्टॉक लेखों का रख रखाव सही ढ़ंग से करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

¼ii½ नगर परिषद हमीरपुर द्वार अपने स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया है जिसका नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 **y/k| vkifŸk foojf.kdk&** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

29 **fu"d"k&** नगर परिषद हमीरपुर द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई सन्तोषजनक नहीं है और न ही इन अंकेक्षण प्रतिवेदनो पर दिये गए सुझावों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है जिस से प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा अंकेक्षण के महत्व को न समझ कर पुनः उन्ही अनियमितताओं की पुनरावृति की जा रही है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आषय से भी लाया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्षाई गई गम्भीर अनियमितताओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित कार्यालय को कड़े आदेष जारी किये जाए।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)(22) दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

ithdr%&1. सचिव, नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

2. निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला—171002,

3- वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला—171003.

4 श्री अजीत सिंह अ0अ0 द्वारा............................

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला—171009.

ifjf'k"V ¼I½

uxj ifj"kn gehjiqj] ftyk gehjiqj] fgekpy izns'k ds y[kkvksa vof/k 4@2011 ls 3@2012 rd ds vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu ds xr vads{k.k iSjksa dh uohure fLFkfr%&

¼1½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 4@75 ls 03@81

1	पैरा 12 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 15 (1, 2)	अनिर्णीत
3	पैरा 27	अनिर्णीत

¼2½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@81 ls 03@82

1	पैरा 35 (डी)	अनिर्णीत

¼3½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@82 l 03@85

1	पैरा 17	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत
3	पैरा 25	अनिर्णीत
4	पैरा 29 (ए0, बी0)	अनिर्णीत
5	पैरा 30	अनिर्णीत
6	पैरा 31	अनिर्णीत
7	पैरा 35	अनिर्णीत

¼4½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@85 l 03@87

1	पैरा 5 (सी0, डी0, ई0)	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 19	अनिर्णीत
6	पैरा 20 (i)	अनिर्णीत
7	पैरा 21 (i to xiii)	आंषिक निर्णीत

¼5½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@87 l 03@89

1	पैरा 5 (ई)	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 18	अनिर्णीत
4	पैरा 20	अनिर्णीत
5	पैरा 25	अनिर्णीत

¼6½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 4@89 ls 3@90

1	पैरा 7 (10)	अनिर्णीत
2	पैरा 11 (ई)	अनिर्णीत

¼7½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 4@91 ls 3@93

1	पैरा 12 (8)	अनिर्णीत

¼8½ y/kq vkfir foojf.kdk

vof/k	en l[;k
4/66 से 3/70	1 (सी0, डी0), 2 से 12
4/70 से 3/73	1 से 21
4/73 से 3/75	2, 3, 8, 9 (2)
4/75 से 3/81	6 (एच), 7(1 से 7) 7 (9, 10)

¼9½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 4@94 ls 3@99

1	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 7 (ग)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा 7 (घ)	आंशिक निर्णीत
4	पैरा 10 (5)	अनिर्णीत
5	पैरा 12 (क)	अनिर्णीत

¼10½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 4@99 ls 3@2006

1	पैरा 4 (क)	अनिर्णीत

2	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (1) (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 6 (1) (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 6 (1) (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 6 (1) (घ)	अनिर्णीत
8	पैरा 6 (1) (ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा 6 (1) (च)	अनिर्णीत
10	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत
11	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत
12	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत
13	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत
14	पैरा 6 (6)	अनिर्णीत
15	पैरा 6 (7)	अनिर्णीत
16	पैरा 6 (8) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा 6 (8) (2)	अनिर्णीत
18	पैरा 6 (8) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा 6 (9)	अनिर्णीत
20	पैरा 6 (10)	अनिर्णीत
21	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत
22	पैरा 7 (5)	अनिर्णीत
23	पैरा 7 (6)	अनिर्णीत
24	पैरा 7 (7)	अनिर्णीत
25	पैरा 7 (8)	अनिर्णीत
26	पैरा 7 (9)	अनिर्णीत
27	पैरा 7 (11)	अनिर्णीत
28	पैरा 7 (13)	अनिर्णीत
29	पैरा 7 (14)	अनिर्णीत
30	पैरा 7 (15)	अनिर्णीत

31	पैरा 7 (16)	अनिर्णीत
32	पैरा 7 (17)	अनिर्णीत
33	पैरा 7 (18)	अनिर्णीत
34	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत
37	पैरा 8 (4)	अनिर्णीत
38	पैरा 8 (5)	अनिर्णीत
39	पैरा 8 (6)	अनिर्णीत
40	पैरा 8 (7)	अनिर्णीत
41	पैरा 8 (8)	अनिर्णीत
42	पैरा 8 (9)	अनिर्णीत
43	पैरा 8 (10)	अनिर्णीत
44	पैरा 8 (11) (i)	अनिर्णीत
45	पैरा 8 (11) (ii)	अनिर्णीत
46	पैरा 8 (12)	अनिर्णीत
47	पैरा 9 (क) (1)	अनिर्णीत
48	पैरा 9 (क) (2)	अनिर्णीत
49	पैरा 9 (क) (3)	अनिर्णीत
50	पैरा 9 (क) (4)	अनिर्णीत
51	पैरा 9 (क) (5)	अनिर्णीत
52	पैरा 9 (क) (6)	अनिर्णीत
53	पैरा 9 (क) (7)	अनिर्णीत
54	पैरा 9 (क) (8)	अनिर्णीत
55	पैरा 9 (क) (9)	अनिर्णीत
56	पैरा 9 (क) (10)	अनिर्णीत
57	पैरा 9 (क) (11)	अनिर्णीत
58	पैरा 9 (क) (12)	अनिर्णीत
59	पैरा 9 (क) (13)	अनिर्णीत

60	पैरा 9 (क) (14)	अनिर्णीत
61	पैरा 9 (क) (15)	अनिर्णीत
62	पैरा 9 (क) (16)	अनिर्णीत
63	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत
64	पैरा 9 (2)	अनिर्णीत
65	पैरा 9 (3)	अनिर्णीत
66	पैरा 9 (4)	अनिर्णीत
67	पैरा 9 (5)	अनिर्णीत
68	पैरा 9 (6)	अनिर्णीत
69	पैरा 9 (7)	अनिर्णीत
70	पैरा 9 (8)	अनिर्णीत
71	पैरा 9 (9)	अनिर्णीत
72	पैरा 9 (10)	अनिर्णीत
73	पैरा 9 (11)	अनिर्णीत
74	पैरा 9 (12)	अनिर्णीत
75	पैरा 9 (13)	अनिर्णीत
76	पैरा 9 (14) (1, 2)	अनिर्णीत
77	पैरा 9 (15)	अनिर्णीत
78	पैरा 9 (16)	अनिर्णीत
79	पैरा 9 (17)	अनिर्णीत
80	पैरा 9 (18)	अनिर्णीत
81	पैरा 9 (19)	अनिर्णीत
82	पैरा 9 (20) (1 से 4)	अनिर्णीत
83	पैरा 9 (21) (1 से 4)	अनिर्णीत
84	पैरा 9 (22)	अनिर्णीत
85	पैरा 9 (23)	अनिर्णीत
86	पैरा 9 (24)	अनिर्णीत
87	पैरा 9 (25)	अनिर्णीत
88	पैरा 9 (26)	अनिर्णीत

89	पैरा 9 (27) (1 से 9)	अनिर्णीत
90	पैरा 9 (28)	अनिर्णीत
91	पैरा 9 (29)	अनिर्णीत
92	पैरा 10 (i to vii)	अनिर्णीत
93	पैरा 10 (1) (क)	अनिर्णीत
94	पैरा 10 (1) (ख)	अनिर्णीत
95	पैरा 10 (1) (ग) (घ)	अनिर्णीत
96	पैरा 10 (2) (क)	अनिर्णीत
97	पैरा 10 (2) (ख)	अनिर्णीत
98	पैरा 10 (2) (ग)	अनिर्णीत
99	पैरा 10 (2) (घ)	अनिर्णीत
100	पैरा 10 (2) (ङ)	अनिर्णीत
101	पैरा 10 (3) (क) (1)	अनिर्णीत
102	पैरा 10 (3) (क) (2)	अनिर्णीत
103	पैरा 10 (3) (क) (3)	अनिर्णीत
104	पैरा 10 (3) (क) (4)	अनिर्णीत
105	पैरा 10 (4)	अनिर्णीत
106	पैरा 10 (5)	अनिर्णीत
107	पैरा 10 (6)	अनिर्णीत
108	पैरा 10 (7)	अनिर्णीत
109	पैरा 10 (8)	अनिर्णीत
110	पैरा 10 (9)	अनिर्णीत
111	पैरा 10 (10)	अनिर्णीत
112	पैरा 11 (1)	अनिर्णीत
113	पैरा 11 (2)	अनिर्णीत
114	पैरा 11 (3)	अनिर्णीत
115	पैरा 11 (4)	अनिर्णीत
116	पैरा 11 (5)	अनिर्णीत
117	पैरा 11 (6)	अनिर्णीत

118	पैरा 12 (1)	अनिर्णीत
119	पैरा 12 (2)	अनिर्णीत
120	पैरा 12 (3)	अनिर्णीत
121	पैरा 12 (4)	अनिर्णीत
122	पैरा 12 (5)	अनिर्णीत

¼11½ vdk{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@2006 ls 3@2007

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 4 (v)	अनिर्णीत
7	पैरा 4 (vi)	अनिर्णीत
8	पैरा 4 (vii)	अनिर्णीत
9	पैरा 4 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा 4 (ix)	अनिर्णीत
11	पैरा 4 (x)	अनिर्णीत
12	पैरा 4 (xi)	अनिर्णीत
13	पैरा 4 (xii)	अनिर्णीत
14	पैरा 4 (xiii)	अनिर्णीत
15	पैरा 5 (i)	अनिर्णीत
16	पैरा 5 (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा 5 (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा 5 (iv)	अनिर्णीत
19	पैरा 5 (v)	अनिर्णीत
20	पैरा 5 (vi)	अनिर्णीत
21	पैरा 6 (i)	अनिर्णीत

22	पैरा 6 (ii)	अनिर्णीत
23	पैरा 6 (iii)	अनिर्णीत
24	पैरा 6 (iv)	अनिर्णीत
25	पैरा 6 (v)	अनिर्णीत
26	पैरा 6 (vi)	अनिर्णीत
27	पैरा 6 (vii)	अनिर्णीत
28	पैरा 6 (viii)	अनिर्णीत
29	पैरा 6 (ix)	अनिर्णीत
30	पैरा 6 (x)	अनिर्णीत
31	पैरा 7 (i)	अनिर्णीत
32	पैरा 7 (ii)	अनिर्णीत
33	पैरा 7 (iii)	अनिर्णीत
34	पैरा 7 (iv)	अनिर्णीत
35	पैरा 7 (v)	अनिर्णीत
36	पैरा 7 (vi)	अनिर्णीत
37	पैरा 7 (vii)	अनिर्णीत
38	पैरा 7 (viii)	अनिर्णीत
39	पैरा 7 (ix)	अनिर्णीत
40	पैरा 7 (x)	अनिर्णीत
41	पैरा 7 (xi)	अनिर्णीत
42	पैरा 7 (xii)	अनिर्णीत
43	पैरा 7 (xiii)	अनिर्णीत
44	पैरा 7 (xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा 7 (xv)	अनिर्णीत
46	पैरा 7 (xvi)	अनिर्णीत
47	पैरा 8 (i)	अनिर्णीत
48	पैरा 8 (ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 8 (iii)	अनिर्णीत
50	पैरा 8 (iv)	अनिर्णीत

51	पैरा 8 (v)	अनिर्णीत
52	पैरा 8 (vi)	अनिर्णीत
53	पैरा 8 (vii)	अनिर्णीत
54	पैरा 9	अनिर्णीत
55	पैरा 10	अनिर्णीत

¼12½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@2007 l 3@2009

1	पैरा 2 (ख) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा 2 (ख) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा 2 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 3 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 3 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 3 (ङ)	अनिर्णीत
8	पैरा 3 (च)	अनिर्णीत
9	पैरा 3 (छ)	अनिर्णीत
10	पैरा 3 (ज)	अनिर्णीत
11	पैरा 3 (झ)	अनिर्णीत
12	पैरा 4 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा 4 (ग) (1) (2)	अनिर्णीत
15	पैरा 4 (घ) (1)	अनिर्णीत
16	पैरा 4 (घ) (2)	अनिर्णीत
17	पैरा 4 (घ) (3)	अनिर्णीत
18	पैरा 4 (ङ) (1)	अनिर्णीत
19	पैरा 4 (ङ) (2)	अनिर्णीत
20	पैरा 4 (ङ) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा 4 (ङ) (4)	अनिर्णीत

22	पैरा 4 (च) (1)(2)	अनिर्णीत
23	पैरा 4 (च) (3)	अनिर्णीत
24	पैरा 4 (छ) (1)	अनिर्णीत
25	पैरा 4 (छ) (2)	अनिर्णीत
26	पैरा 4 (ज) (1) (2)	अनिर्णीत
27	पैरा 4 (ज) (3) (4)	अनिर्णीत
28	पैरा 4 (झ)	अनिर्णीत
29	पैरा 4 (ञ)	अनिर्णीत
30	पैरा 4 (ज)	अनिर्णीत
31	पैरा 5 (क)	अनिर्णीत
32	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा 5 (ग)	अनिर्णीत
34	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
35	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
37	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत
38	पैरा 6 (छ) (1)	अनिर्णीत
39	पैरा 6 (छ) (2)	अनिर्णीत
40	पैरा 6 (छ) (3)	अनिर्णीत
41	पैरा 6 (ज) (1)	अनिर्णीत
42	पैरा 6 (ज) (2)	अनिर्णीत
43	पैरा 6 (ट)	अनिर्णीत
44	पैरा 6 (ढ) (1)	अनिर्णीत
45	पैरा 6 (ढ) (2)	अनिर्णीत
46	पैरा 6 (थ)	अनिर्णीत
47	पैरा 6 (द)	अनिर्णीत
48	पैरा 6 (ध)	अनिर्णीत
49	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत
50	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत

51	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत
52	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत
53	पैरा 7 (ङ)	अनिर्णीत
54	पैरा 7 (च) (1)	अनिर्णीत
55	पैरा 7 (च) (2)	अनिर्णीत
56	पैरा 7 (च) (3)	अनिर्णीत
57	पैरा 7 (छ)	अनिर्णीत
58	पैरा 7 (ज)	अनिर्णीत
59	पैरा 7 (झ)	अनिर्णीत
60	पैरा 7 (ठ)	अनिर्णीत
61	पैरा 7 (ङ)	अनिर्णीत
62	पैरा 7 (ण)	अनिर्णीत
63	पैरा 7 (त)	अनिर्णीत
64	पैरा 7 (द) (1)	अनिर्णीत
65	पैरा 7 (द) (2)	अनिर्णीत
66	पैरा 7 (द) (3)	अनिर्णीत
67	पैरा 7 (द) (4)	अनिर्णीत
68	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत
69	पैरा 7 (न)	अनिर्णीत
70	पैरा 8 (क) (1)	अनिर्णीत
71	पैरा 8 (क) (2)	अनिर्णीत
72	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत
73	पैरा 10 (क)	अनिर्णीत
74	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत
75	पैरा 10 (ग)	अनिर्णीत

¼13½ vadk{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 4@2009 ls 3@2011

1	पैरा 3 (1) (2)	अनिर्णीत

2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा 4 (4)	अनिर्णीत
7	पैरा 4 (5)	अनिर्णीत
8	पैरा 4 (6)	अनिर्णीत
9	पैरा 4 (7)	अनिर्णीत
10	पैरा 4 (8)	अनिर्णीत
11	पैरा 4 (9)	निर्णीत (वर्ष 2009–10 के षराब षुल्क की ₹122057/–वसूली कर दिनांक 17.4.12 को जमा करवा दी गई)
12	पैरा 4 (9) (1)	अनिर्णीत
13	पैरा 4 (10)	अनिर्णीत
14	पैरा 4 (11)	अनिर्णीत
15	पैरा 4 (12)	अनिर्णीत
16	पैरा 5	अनिर्णीत
17	पैरा 6	अनिर्णीत
18	पैरा 7	अनिर्णीत
19	पैरा 8	अनिर्णीत
20	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत
21	पैरा 9	अनिर्णीत
22	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत
23	पैरा 10	अनिर्णीत
24	पैरा 11 (1)	अनिर्णीत
25	पैरा 11 (2)	अनिर्णीत
26	पैरा 11 (3)	अनिर्णीत
27	पैरा 12	अनिर्णीत
28	पैरा 13	अनिर्णीत
29	पैरा 14	अनिर्णीत

30	पैरा 15	अनिर्णीत
31	पैरा 16	अनिर्णीत
32	पैरा 17 (1)	अनिर्णीत
33	पैरा 17 (2)	अनिर्णीत
34	पैरा 17 (3) (क)	अनिर्णीत
35	पैरा 18	अनिर्णीत
36	पैरा 19	अनिर्णीत
37	पैरा 20	अनिर्णीत
38	पैरा 20 (1)	अनिर्णीत
39	पैरा 20 (2)	अनिर्णीत
40	पैरा 21	अनिर्णीत
41	पैरा 21 (1)	अनिर्णीत
42	पैरा 21 (2)	अनिर्णीत
43	पैरा 22	अनिर्णीत
44	पैरा 22 (1)	अनिर्णीत
45	पैरा 22 (2)	अनिर्णीत
46	पैरा 23	अनिर्णीत
47	पैरा 23 (1)	अनिर्णीत
48	पैरा–24	अनिर्णीत
49	पैरा 25	अनिर्णीत
50	पैरा 25 (1)	अनिर्णीत
51	पैरा 26	अनिर्णीत
52	पैरा 26 (1)	अनिर्णीत
53	पैरा 27	अनिर्णीत